

अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दविस

प्रलिस के लयि:

अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दविस नागरकि समाज संगठन, मनरेगा, यूपीएससी, आईएस, यूपीएससी सीएसई वगित वर्ष के प्रश्न

मेन्स के लयि:

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के मुद्दे, ग्रामीण महिला श्रमिकों के उत्थान के लयि कयि जा सकने वाले उपाय

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दविस मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दविस

पृष्ठभूमि:

- इस दविस की स्थापना ग्रामीण महिलाओं को सम्मानति करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में बीजगि में आयोजति महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विशेष दविस के रुप में की गई थी।
- ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतरराष्ट्रीय दविस 15 अक्टूबर, 2008 को मनाया गया। इस नए अंतरराष्ट्रीय दविस की स्थापना महासभा ने वर्ष 2007 में अपने संकल्प 62/136 में की थी।

परचिय:

- इस दनि का उद्देश्य इस तथ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना है कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी पारिवारिक आजीविका में वविधिता लाती है, फरि भी उनके प्रयासों की काफी हद तक सराहना नहीं की जाती है।
- यह "कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन" में स्थानीय महिलाओं सहति ग्रामीण महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान को मान्यता देता है।

वर्ष 2022 के लयि थीम:

- "ग्रामीण महिलाएँ, भूख और गरीबी से मुक्ति हेतु दुनिया की कुजी।"

भारत में ग्रामीण महिला कामगारों के समक्ष चुनौतियाँ:

डेटा की अपूरण प्रस्तुति:

- कुछ ग्रामीण महिलाओं ने इस विश्वास के कारण कार्य की तलाश करना बंद कर दिया कि 'कोई काम उपलब्ध नहीं है', उन्हें भ्रमति रूप से कार्य 'छोड़ने' (Dropping out) या श्रम 'बाज़ार छोड़ने' वाली श्रमिक महिलाओं के रूप में वर्णति कयि जाता है। इस प्रकार उनके कार्य छोड़ने को वविशता के बजाय उनके 'चयन' के रूप में दर्शाया जाता है।

वेतन में समानता का अभाव:

- शारीरिक श्रम कार्य के क्षेत्र में मात्रानुपाती दर (Piece rate) के संदर्भ में महिलाओं को पुरुषों से कम भुगतान कयि जाता है क्योंकि भारी वजन उठाने में वे अपेक्षाकृत कम शारीरिक क्षमता रखती हैं।

शिक्षा की कमी:

- अधिकांश महिला नरिमाण श्रमिक, 'नरिमाण श्रमिक' (Construction Workers) के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और इसलिये नरिमाण श्रमिक कल्याण बोर्ड से किसी भी लाभ की प्राप्ति हेतु पात्रता नहीं रखती।
- भुगतानयुक्त औपचारिक नौकरियों उच्च शैक्षणिक योग्यता-प्राप्त पुरुषों और महिलाओं के हस्से में जाती हैं, जिससे माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त महिलाओं को गैर-कृषि, नरिमाण, घरेलू देखभाल कार्य तथा अन्य भूमिकाओं के लयि वविश होना पड़ता है।

मनरेगा की सीमतिता:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम (MGNREGA) एक श्रम मांग-संचालति कार्यक्रम है जो प्रतवर्ष

सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में केवल 100 दिनों के भुगतान योग्य श्रम प्रदान करने तक ही सीमिति है।

- शेष अवधि के लिये महिला श्रमिकों को लगातार आय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में रहना पड़ता है ताकि वे अपने खर्चों की पूर्ति कर सकें।

■ वित्तीय बाधाएँ:

- महिलाएँ अपने विभिन्न कार्यों (जिनके लिये कोई नशिक्षित दर भी नहीं होती) से जो आय अर्जित करती हैं, वह उनके श्रम के उचित मूल्य की पुष्टि नहीं करती।
- पर्याप्त धन की अनुपलब्धता और ज्ञान की कमी के कारण वे ऋण जाल में उलझने के प्रतिस्वार्थिक भेद्य या असुरक्षित होती हैं।

ग्रामीण महिला श्रमिकों के उत्थान के लिये की गई पहलें:

■ ई-श्रम पोर्टल:

- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल लॉन्च किया है।
- इसका लक्ष्य श्रमिक, प्रवासी कार्यबल, स्ट्रीट वेंडर्स और घरेलू कामगारों जैसे 38 करोड़ असंगठित कामगारों को पंजीकृत करना है।
- यदि कोई कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है तो दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या स्थायी वकिलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक वकिलांगता पर 1.0 लाख रुपए पाने का पात्र होगा।

■ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP):

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2011 में MSKP को लॉन्च किया।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिये कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करना है।
- यह योजना DAY-NRLM (दीनदयाल अनुत्थोदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के एक उप-घटक के रूप में शुरू की गई थी और भारत भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के माध्यम से लागू की गई।
- NRLM योजना के तहत कम्युनिटी रिसोर्स प्रसन (CRP) और वसितार एजेंसियों के माध्यम से महिला किसानों को नवीनतम कृषि एवं संबद्ध तकनीकों के उपयोग तथा कृषि-पारिस्थितिक सर्वोत्तम अभ्यासों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

■ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में PMKVY को लॉन्च किया।
- यह ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) जैसे कई लघु आवधिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है ताकि वे आजीविका का अर्जन कर सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) ग्रामीण युवाओं के लिये मज़दूरी, रोजगार हेतु नयोजन संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है।

■ बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क (Biotech-KISAN) कार्यक्रम:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने बायोटेक-किसान कार्यक्रम शुरू किया है।
- यह पूर्वोत्तर भारत के किसानों के लिये वैज्ञानिक समाधान प्रदान करता है जहाँ नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से क्षेत्र की महिला किसानों उपलब्ध कराया जाता है।

■ प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

- PMJDY ने आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी के प्रतिभरोसे और संभावनाओं को बढ़ाया है। जन धन अभियान ने ग्रामीण महिलाओं के लिये वहनीय तरीके से बैंकिंग/बचत एवं जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की है।

■ कुछ अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनुन योजना
- कृषि मशीनीकरण योजना उप-अभियान
- पीएम-किसान योजना

आगे की राह

■ सर्वेक्षण संचालन:

- समय-समय पर ग्रामीण सर्वेक्षण आयोजित किये जाने चाहिये ताकि वास्तविक परिदृश्यों का पता चल सके, क्योंकि ग्रामीण भारत में पूंजीवादी प्रक्रियाओं की गहरी पैठ के साथ ग्रामीण श्रमिकों के लिये आजीविका विकल्पों का संकट उत्पन्न हुआ है।
- गरीब ग्रामीण महिलाओं और उनके दैनिक कार्यकलापों का व्यापक सर्वेक्षण कराना एक तात्कालिक आवश्यकता है।

■ वयस्क शिक्षा और प्रशिक्षण:

- गुणवत्तापूर्ण वयस्क शिक्षा और प्रशिक्षण तक महिलाओं की पहुँच कम है, जो उनके सतत विकास के लिये सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।
- महिलाओं को क्षमता निर्माण और वयस्क प्रशिक्षण के हिससे के रूप में जीवन कौशल, एवं सामाजिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये।

■ मनरेगा मानक:

- मनरेगा के तहत निर्धारित नष्पादन मानकों को लगे-वार स्थापित किया जाना चाहिये और कार्य स्थलों को अधिक श्रमिक अनुकूल बनाया जाना चाहिये।
- महिला कार्यकर्त्ता को उसके मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनों एवं नीतियों द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया जाना अनिवार्य होना चाहिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. परायः समाचारों में देखे जाने वाले 'बीजगि घोषणा और कार्रवाई मंच' (बीजगि डक्लिरेसन एंड प्लेटफॉर्म फॉर ऐक्शन) नमिनलखिति में से क्या है?

- (a) क्षेत्रीय आतंकवाद से नपिटने की रणनीति (स्ट्रैटजी),
- (b) एशिया- प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक कार्ययोजना, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच (एशिया-पैसफिक इकोनॉमिक फोरम) के वचिर-वमिरश का एक परणाम
- (c) महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजति वशिव सम्मेलन का एक परणाम
- (d) वन्यजीवों के दुर्व्यापार (ट्रेफकिगि) की रोकथाम हेतु पूरवी एशिया शखिर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समटि) की एक उदघोषणा

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- बीजगि डक्लिरेसन एंड प्लेटफॉर्म फॉर ऐक्शन दुनिया भर में **महिलाओं के लयि समानता, वकिस और शांति** हासलि करने हेतु एक वैश्वकि प्रतबिद्धता है। यह **सतिंबर 1995 में बीजगि में आयोजति महिलाओं पर चौथे वशिव सम्मेलन में अपनाया** गया। यह पछिले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों, वशिष रूप से 1985 के नैरोबी महिला सम्मेलन में प्रापूत सरवसम्मति और प्रगतपर आधारति है।
- प्लेटफॉर्म फॉर ऐक्शन महिलाओं के सशक्तीकरण का एजेंडा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तीकरण के लयि नैरोबी की दूरदेशी रणनीति के कार्यानवयन में तेज़ी लाना और अर्थव्यवस्था, सामाजकि, संस्कृतकि व राजनीतकि क्षेत्र में नरिणय लेने की शक्ती के साथ उनकी पूरण तथा समान भागीदारी के माध्यम से सार्वजनकि और नजिी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।

अतः वकिल्प C सही उत्तर है।

??????

प्रश्न. सूक्षम-वतित एक गरीबी-रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरदिर की परसिंपत्तकि नरिमाण और आय सुरक्षा के लयि लक्षति है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लयि कीजयि। **(मुख्य परीक्षा, 2020)**

स्रोतः द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/international-day-of-rural-women>